समाहरणालय सिमडेगा।
(खनन शाखा)

पत्रांक ..../एम0, सिमडेगा, दिनांक......................

प्रेषक,

उपायुक्त,
सिमडेगा।

सेवा में,

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सिमडेगा।

विषयः– **जिलास्तरीय पर्यावरणीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) हेतु एक विशेषज्ञ सदस्य की मनोनयन हेतु विज्ञापन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 125, नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2016 एवं अधिसूचना संख्या 166, नई दिल्ली, दिनांक 20.01.2016 में निहित् प्रावधानों एवं अनुदेशों के आलोक में सिमडेगा जिले में DEIAA हेतु एक विशेषज्ञ सदस्य की आवश्यकता है।

इस समिति के लिए एक विशेषज्ञ सदस्य का मनोनयन किया जाना है। विशेषज्ञ सदस्य के लिए निर्धारित अहर्त्ता एवं अन्य विवरणी से संबंधित विज्ञापन तैयार किया गया है।

उक्त विज्ञापन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों के राज्य स्तरीय संस्करण में विज्ञापन को प्रकाशन कराया जाय।

विश्वास भाजन

उपायुक्त,
सिमडेगा।

ज्ञापांक ......334....../एम0, सिमडेगा, दिनांक 12/05/16

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, N.I.C समाहरणालय, सिमडेगा को सभी संलग्नकों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

12/5/16

उपायुक्त,
सिमडेगा।

विज्ञापन संख्या– 1 /एम0, सिमडेगा।

समाहरणालय सिमडेगा।

(खनन शाखा)

अधिसूचना संख्या 125, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2016

"परिशिष्ट 7"

(पैरा 3क देखें)

(DEIAA) के लिए विशेषज्ञ की अर्हताएँ

1. **अर्हता :** व्यक्ति के पास कम से कम (i) संबंधित विषय में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण होना चाहिए जिसकी परिणीति एम.ए.या एम.एस.सी. डिग्री के रूप में हों या (ii) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/अभिन्यास विषय की दशा में उस क्षेत्र में विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ चार वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसकी परिणीति बी.टेक./बी.ई./बी.आर्क. डिग्री के रूप में या (iii) अन्य व्यवसायिक डिग्री (अथीत् एम.बी.ए. आदि) जिसमें कुल पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित हों या (iv) विहित शिक्षुता/आर्टिकल शिप और संबंधित व्यवसायिक संगमों द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण (अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंसी) या (v) विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी (अर्थात् एम.बी.ए./एम.पी.ए.) आदि के पश्चात् दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण। व्यष्टिक व्यवसायिकों का चयन करते समय उनके द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में अर्जित अनुभव का ध्यान रखा जाएगा।
2. **विशेषज्ञ :** पूर्वोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला व्यवसायी जिसके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो या कम से कम पांच वर्ष के सुसंगत अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में उन्नत डिग्री (अथीत् पी.एच.डी.)।
3. **आयु :** सत्तर वर्ष से कम । तथापित किसी दिए गए क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता या कमी की दशा में अधिकतम आयु को पचहत्तर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा।
4. **क्षेत्र :** खनन, भूविज्ञान, जल विज्ञान, सुदूर संवेदन पर्यावरण क्वालिटी, पर्यावरण संघात निर्धारण प्रक्रिया, जोखिम निर्धारण, जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वाणिकी और वन्य जीवन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, जैव विभिन्नतता और नदी पारिस्थितिकी।
5. **पदावधि :** विशेषज्ञ सदस्यों की अधिकतम पदावधि दो पदावधियों में तीन वर्ष होगी।
6. विशेषज्ञ सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व बिना कारण और उचित जांच के नहीं हटाया जाएगा।
7. **सिमडेगा जिला के लिए DEIAA हेतु मनोनयन किए जाने योग्य विशेषज्ञ सदस्य की संख्या – 1**
8. **मानदेय :** विशेषज्ञ सदस्य के रूप में चयनित सदस्यों का सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
9. निर्धारित अर्हता धारण करने वाले योग्य अभ्यर्थी अपना CV डाक द्वारा, **उपायुक्त सिमडेगा, जिला खनन कार्यालय, सिमडेगा, समाहरणालय भवन, पोस्ट/जिला– सिमडेगा, पिन–835223 या इमेल द्वारा dc-sim@nic.in एवं districtminingofficesimdega@yahoo.in में दिनांक 30.05.2016 तक भेज सकते है।**

17/05/16

सहायक खनन पदाधिकारी
सिमडेगा।

12.5.16

उपायुक्त,
सिमडेगा।